

325

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 12085 निगरानी

निगरानी 1508-II-15 कलील खान पुत्र मौहम्मद सलीम खान,  
निवासी - वाई नम्बर 15, चंदिवा, तैस्लील  
चंदिवा, जिला उमरिया-मध्य प्रदेश।

श्री 20 स - के 0 अवरणी, श्री 20  
द्वारा आज दि 12-6-5 को  
प्रस्तुत

वकील ऑफ़ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

----- प्राधी

विराध

- 1- मौहम्मद कुरत खान पिता मौहम्मद सलीम खान, निवासी वाई नं०-15, चंदिवा, तैस्लील चंदिवा जिला उमरिया-मध्य प्रदेश।
- 2- मौहम्मद निहार खान पुत्र समान खान, निवासी जोधपुर धाना रिल्पुर, जिला शरडोल-मध्य प्रदेश।

--- प्रतिप्राधीगण

9/24/52

निगरानी विराध आदेश एस०डी०ओ० महोदय बान्धवगढ़,  
अन्तर्गत धारा 50-मध्यप्रदेश सू-राजस्व संहिता, 1884 ए० 50 67। 1328  
अपील।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- 1- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की आज्ञा कानूनन नहीं है।
- 2- यह कि, विवादित आदेश प्राप्त किये जाने के पूर्व प्राधी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया जो न केवल कानूनन अपितु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्ती योग्य है।
- 3- यह कि, आदेश दिनांक 13-3-52 के द्वारा जिला को अन्वीकार दिया गया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण स्वयं समाप्त हो

2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-1508-दो/2015

जिला-उमरिया

अलील खान विरुद्ध मोहम्मद कुदरत खान व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों के हस्ताक्षर
18-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री एस.के. अवस्थी एवं अनावेदक की ओर से श्री एजाज गौरी अभिमाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 67/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 13-04-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-उमरिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 13-05-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">(आर0के0 जैन) सदस्य 18/03/19</p>